

पत्रांक 10 / -14-44 / 2015
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

गी० एन० मिश्रा,
विशेष निदेशक, भा० शिक्षा।

संदेश में

आच्युत,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्पुनिटी सेटर
नई दिल्ली- 110092

विषय :

बाबा गंगा सिंह इन्टरनेशनल स्कूल टोडा, अकोदा, दिनारा, रोहतास, को
अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध ।

पटना, दिनांक

2016

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बाबा गंगा सिंह इन्टरनेशनल
स्कूल टोडा अकोदा, दिनारा, रोहतास को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के
प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष किये गये
शपथ पत्र वे साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति
द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय **Ramchandra Singh Educational and Charitable Trust** के
अधीन सचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक
सदस्य का दोरा दिया गया है तथा भापथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फॅन्चाईजी अथवा पिसी
विद्यालय वे ब्राड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को 02.22 एकड़ 30 वर्षों के लिंज पर उपलब्ध है। विद्यालय में उपस्कर पुस्तकालय
एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना
होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।

4. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा
किया गया है। विद्यालय में 10 शिक्षक हैं। सी० गी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना
होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्याग्रक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा
नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक
करने का आशयासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप रार्थाई ऐसे इसे सी० ई०
एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिकूचना संख्या-238,
दिनांक 31.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तों स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :

- (i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत नि शुल्क नामांकन पडोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे दूसरा। शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं किया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत लोहड़ा वर्ग, अत्यसरख्यक, विकलाग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय परिवर्श ₹200,000/- (दो लाख रुपये भात्र) से कम होगा, को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी / कै० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा / साक्षात्कार (बच्चों एवं माता / पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी / कै० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का पब्लिक द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथं पत्र के माध्यम से किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर सचालित है।

9. साथ ही दोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक / छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार बाबा गंगा सिंह इन्टरनेशनल स्कूल टोडा, अकोडा, दिनांक, रोहतास को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धत हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन:

ह०/-

(पी० एन० मिश्न)

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

पटना, दिनांक.....2016

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

आपांक 546

ह०/-

गिरेप निदेशक, मा० शिक्षा।

पटना, दिनांक 17/03/2016

प्रतिलिपि : प्राचार्य, बाबा गंगा सिंह इन्टरनेशनल स्कूल टोडा, अकोडा, दिनांक, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

विश्वासभाजन
प्रतिलिपि 546